

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) लाल भवन/मुखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

लाल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 327 दिनांक 08/10/2020

आर्षी इस्लामुद्दीन डी० जी निजामुद्दीन अब्बासी

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/8142, 8143 दिनांक 08/10/2020 को जमा करा दी है ।

P.No: 24 सुगादिस कोलोनी  
मसुरिया

दिनांक 19/10/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

इस्लामुद्दीन

9828223358

जी+1  
आवासीय